

विषय:- डी.बी.टी. पोर्टल/CSIR-HRDG के शोधार्थियों का आकस्मिक व्यय/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रोग्रेस रिपोर्ट विश्वविद्यालय पोर्टल में अपलोड करने बाबत (प्रस्तुत पर ✓ लगायें)

1. विभाग का नाम
2. शोधार्थी का नाम
3. फेलोशिप कैटेगरी (JRF/SRF/RA/Post Dr.)
4. फेलोशिप/स्कॉलरशिप का नाम :
5. फेलोशिप/स्कॉलरशिप अवार्ड क्र मांक/फाईल नम्बर/दिनांक
6. फेलोशिप/स्कॉलरशिप ग्रहण करने की तिथि
7. बैंक का नाम
8. बैंक खाता क्रमांक
9. आई.एफ.एस.सी. कोड
10. वित्तीय वर्ष में कुल आकस्मिक व्यय की पात्रता
11. तिमाही में आकस्मिक व्यय की पात्रता
12. आकस्मिक व्यय की अवधि
13. प्रस्तुत कुल आकस्मिक व्यय की राशि
14. संलग्न देयकों की संख्या
15. देयकों की प्रविष्टि सहित स्कंध पंजी
16. शोधार्थी का मोबाइल नं.
17. आधार नम्बर
18. प्रथम आकस्मिक व्यय प्रस्तुत करने पर (अवार्ड पत्र एवं ज्वाइनिंग रिपोर्ट की छायाप्रति) संलग्न करे।
19. प्रोग्रेस रिपोर्ट की अवधि
20. अन्य

उपरोक्त जानकारी विभाग के पंजी के पृष्ठ क्रमांक में दर्ज किया गया है। शोधार्थी द्वारा सभी कंडिकायें पूर्ण रूप से भरी हुई हैं। शोध निर्देशक द्वारा सत्यापित है। संबंधित शोधार्थी का आकस्मिक व्यय/उपयोगिता प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु नस्ती प्रथमतः अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जाना है एवं सक्षम अनुमोदन एवं कुलसचिव के हस्ताक्षरार्थ पश्चात् नस्ती विकास विभाग को पोर्टल में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। प्रोग्रेस रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर से सीधे विकास विभाग को प्रेषित किया जाना है।

विभागीय कार्यालय सहायक

शोध निर्देशक/सुपरवाइजर

विभागाध्यक्ष

अनुशंसित एवं आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नस्ती अग्रिम कार्यवाही हेतु अंकेक्षण विभाग की ओर अग्रेषित।

अधिष्ठाता

आंतरिक अंकेक्षण विभाग